तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार [illegible] हुक्म की [illegible] तारीख में जारी हु[illegible]
03/11/25	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिसकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई। डिलीवर्ड रसीद का इंतजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 25/11/25 को पेश हो।	
25/11/25	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलीवर्ड रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विप्रार्थी संख्या-1 बावजूद सूचना गैरउपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की आवेदन व तहसीलदार भिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तहसीलदार भिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट से प्रार्थी के अधिवक्ता सहम[illegible] व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे [illegible] से प्रस्तावित किये गये रास्ते [illegible] को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने [illegible] आदेश किये जाने हेतु निवेदन किया गया। लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन व तहसीलदार भिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता कायम किये जाने का आदेश किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश निकला से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार जिला आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। मौका रिपोर्ट है संलग्न नक्शा आदेश का हिस्सा बना रहेगा। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी–कल्पित शिवरान (R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या– 186 / 2025

प्रार्थी
कनाराम पुत्र लुम्बाराम
जाति जाट निवासी लेगों की
ढाणी, पटवार हल्का गिड़ा,
तहसील गिड़ा

बनाम

विप्रार्थीगण
1. तिलाराम पुत्र लुम्बाराम
जाति जाट निवासी लेगों की
ढाणी, पटवार हल्का गिड़ा,
तहसील गिड़ा
2. तहसीलदार गिड़ा, जिला
बालोतरा

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क(1)रा.का.अधिनिंयम

Application for Permission under sub&secation (1) pf secation 251-A of the Rajajsthan tenancy Act. 1955

उपस्थित

1. श्री रामचन्द्र अधिवक्ता प्रार्थी की और से

आदेश

दिनांक : 25.11.2025

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 84 / 45 रकबा 3.5855 हैक्टेयर ग्राम लेगो की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ा, तहसील गिड़ा तक पहुचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 85 / 45 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से होकर 16 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। ... विप्रार्थी संख्या 1 स्वंय या उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं ... लिहाजा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी के खातेदारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बायतु,
जिला - बालोतरा

खेत खसरा नम्बर 84/45 में आने–जाने हेतु उससे लगते हुएं खसरा नम्बर 85/45 में से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं हैं एंव उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा हैं। सड़क से कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ हैं तथा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 16 फीट हैं जिसका रकबा 0.0750 हैक्टेयर बनता हैं। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर प्रार्थी वकील की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थीग वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 85/45 में से रास्ता का उपयोग करता आ रहा हैं जो विप्रार्थी के घर के आगे से होकर चलता हैं जिसमें तहसीलदार गिड़ा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में खेत के सेढे–सेढे रास्ता प्रस्तावित किया गया जिससे विप्रार्थी संख्या 1 के खेत का दो टुकड़ो में विभाजन नहीं हो तथा रास्ता प्राप्त हो सके जो प्रार्थी को स्वीकार्य हैं। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाये, प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत हैं।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना उनके कथनों पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चहता हैं और मामला खातेदारान के मध्य पारस्परिक सहमती से तय नहीं होता हैं तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक हैं कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता हैं तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता [illegible] प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता स्पष्ट हैं क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 84/45 तक पहुंच सके। समस्त तथ्यों पर गहनता पूर्वक मनन करने से यह साबित होता हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताये गये स्थान के अलावा अन्य कोई नजदिकी रास्ता नहीं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

हैं। तहसीलदार गिड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी दुसरा नजदीकी रास्ता नहीं बताया हैं इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हैं।

अतः प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने व इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम लेगो की ढाणी पटवार मण्डल गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 85/45 में से होकर खसरा नम्बर 84/45 तक पहुंचने हेतु 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाता हैं–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रास्ते हेतु
लेगो की ढाणी	85/45	0.0750 हैक्टेयर
योग	1	0.0750 हैक्टेयर

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर 1,59,000/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 0.0750 हैक्टेयर की दुगनी राशि 23850/–रुपये तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि 23850/–रुपये तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू–अभिलेख में अंकन करें तथा प्रतिकर Compensation राशि का नियमानुसार खातेदार तिलाराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ातहसील गिड़ा को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बायतु

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

ला : बालोतरा

तहसील : गिड़ा

दिनांक : 17/09/2025 11:48:57 AM

हल्का : गिड़ा

ग्राम : लेगो की ढा

भू. अ. नि. क्षेत्र : गिड़ा

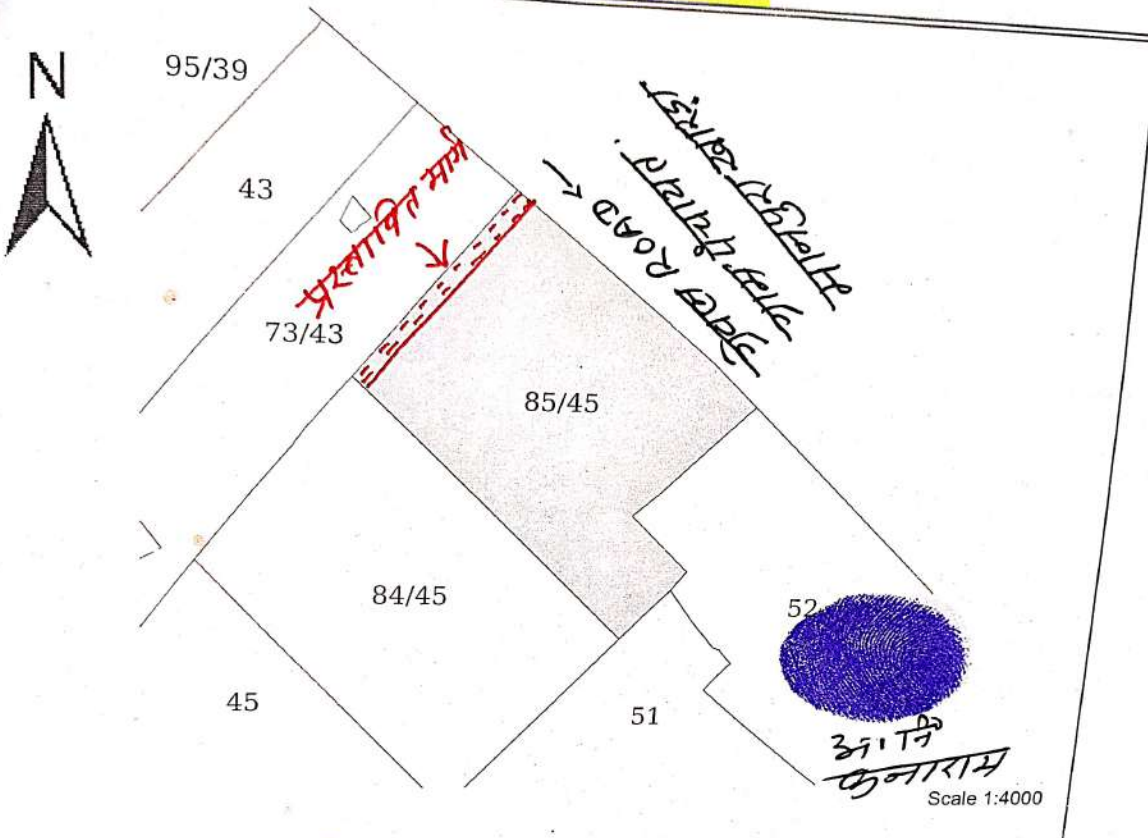

खसरा संख्या :85/45 क्षेत्रफल : 3.5855 Hectare खाता संख्या : 13पुराना खाता संख्या :29
भूमि किस्म[क्षेत्रफल]: बा.दोयम [3.5855, 2.01]
1.) तिलाराम पुत्र लुम्बाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट : १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय से सम्पर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:08:01 IST
Reason: SelfAttested

17/9/25
ILR-गिड़ा

तहसीलदार (भू.अ.)
गिड़ा